

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश: जबलपुर

// आदेश //

C/407

क्रमांक...../चार-12-5/23

जबलपुर, दिनांक **21** / 01 / 2026

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 331/गोपनीय/2025 जबलपुर दिनांक 14-02-2025 द्वारा श्री जय प्रकाश सिंह, तत्कालीन विशेष न्यायाधीश (वर्तमान में सेवानिवृत्त) को प्रधान जिला न्यायाधीश के सुपर समय वेतनमान (Super Time Scale) रुपये 199100-224100/- में निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक 05 में दर्शित पुनरीक्षित दिनांक से नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्र. 2109/2018/21-ब(एक) दि० 28.04.2018 एवं क्र. 1464/21-ब(एक) दिनांक 25.03.2021 के अंतर्गत उनका वेतन का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :-

स. क्र.	अधिकारी का नाम, पदनाम व यूनिक एम्प लाई कोड	सुपर समय वेतनमान में नियुक्ति दिनांक के पूर्व चयनग्रेड वेतनामन 163030-219090/- (जे.-6) में प्राप्त वेतन व वार्षिक वेतनवृद्धि का दिनांक	पूर्व में सुपर समय वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक	सुपर समय वेतनमान में पुनरीक्षित दिनांक से नियुक्ति का दिनांक	सुपर समय वेतनमान में आगामी वे०वृ० का दिनांक	सुपर समय वेतनमान रु० 199100-224100/- (जे.-7) में निर्धारित वेतन	देय दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	श्री जय प्रकाश सिंह, तत्कालीन विशेष न्यायाधीश 020007196	194660/- 29.05.2019	12.06.2020	12.04.2020	- 29.05.2020 29.05.2021 29.05.2022 (Retired on 28/02/2023)	199100/- 205070/- 211220/- 217560/-	12.04.2020 01.05.2020 01.05.2021 01.05.2022

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,



(राजेश कुमार शर्मा)

 रजिस्ट्रार(एम)

C/408

पृष्ठांकन क्रमांक...../चार-12-5/23

जबलपुर, दिनांक **21** / 01 / 2026

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(एम)(पेंशन) एवं सहायक सेवा पुस्तिका(राजपत्रित), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

3. रीडर टू रजिस्ट्रार(एम), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. श्री जय प्रकाश सिंह, सेवानिवृत्त विशेष न्यायाधीश, Village Virshadpur, Post Teji Bazar, District Jaunpur (U.P.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

नोट:- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।



रजिस्ट्रार(एम)
ch